राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– नारायणलाल जीनगर आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :– 151/2023 [illegible]

1. [illegible] S/o [illegible]

प्रार्थी.......

बनाम

1. [illegible]

विपक्षीगण.

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956</u>

:: आदेश :: **दिनांक** 13/4/23

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन **किया कि** ग्राम [illegible] पटवार हल्का [illegible] तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या 84 **आराजी नम्बर** 400/341 0.5059/ .... कुलकिता 1 ....

रकबा 0.5059 ....हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह **नही होने से** आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की **पत्थरगढी के** आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 4/4/23 .... को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ **से यह बात** सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। **वैसे भी इस प्रकार** के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अदेंशा नही है तथा न किसी **प्रकार अधिकार** निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर **आवेदन पत्र** प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम [illegible] .... पटवार हल्का [illegible] .... तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 84 आराजी नम्बर .... 400/341 0.5059/ .... कुलकिता 1 ....

रकबा 0.5059 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू– **अभिलेख** निरीक्षक [illegible] ....को 450/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। **कमिश्नर फीस** प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस ज[illegible] पक्षकारान की मौजूदगी में मौंके व कब्जे की **यथास्थिति** को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार [illegible]कर [illegible]रगढी की जावें। फसल खडी होने पर **पत्थरगढी नही** की जावे।

संलग्नः– **प्रार्थना** पत्र की प्रतिलिपी

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.08.12 14:35:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– **तहसीलदार** करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार **पत्थरगढी की जाकर** पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा